

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, ब्लॉक-ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800023

(वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में चालक सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 30/12/2019

विज्ञापन संख्या-05/2019

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में सीधी नियुक्ति हेतु चालक सिपाही के पद (वेतनमान लेवल-3 [₹21,700 — 69,100]) की रिक्तियों की संख्या- 1722 (सत्रह सौ बाईस) है ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 05/2019 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 30/11/2019 से प्रारंभ होगी।

(i) पुलिस मुख्यालय की अध्याचना, पत्रांक-75/पी-4 दिनांक-13.11.2019 एवं पत्रांक 94/पी0-4, दिनांक 29.11.2019, (ii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या-7655, दिनांक- 20.09.2017 (बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017) (ii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 6622, दिनांक-14.08.2019 (बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019) (iii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 9188, दिनांक-05.11.2019 (बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2019), (iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक 20 जनवरी, 2016 (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 13185, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019) (viii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019) (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015- सा0प्र0-2526, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के

स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण) के आलोक में विहित/वर्णित प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय चयन पर्वद द्वारा भर्ती की प्रक्रिया की जायेगी ।

उक्त “बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017” एवं संगत (उपर्युक्त वर्णित) अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान एवं शर्तें तथा विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्वद के वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर ऑन-लाइन (Online) समर्पित करेंगे। तदोपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(1) चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :-

1.1 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) पास या समकक्ष अनिवार्य होगी ।

1.2 मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति :- मात्र वैसे ही पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी जिनके पास विज्ञापन की तिथि (29/11/2019) से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होगी, इस पद हेतु आवेदन करने के योग्य होंगे ।

1.3 अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक-01.08.2019 को) “दसवीं-बोर्ड” अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी :-

- (क) सामान्य (अनारक्षित) कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।
- (ख) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष ।
- (ग) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अट्ठाईस) वर्ष ।
- (घ) अनुसूचित जाति/कोटि एवं अनुसूचित जन-जाति/कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।
- (ङ) बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जाएगी ।

1.4 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड - उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना के मापदण्ड को पूरा करना आवश्यक होगा ।

(क) ऊँचाई -

- (1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।
- (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 गोरखा बटालियन में) के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(5) सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए-

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(4) भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 गोरखा बटालियन में) के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(5) महिला उम्मीदवारों पर यह अर्हता लागू नहीं होगी ।

(ग) महिला उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 48 किलो ग्राम होना आवश्यक है ।

(2) नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा' - पर्थद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा । लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा । प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो (2) घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक देय होगा।

सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे वे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

पाठ्यक्रम - लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम पाँच (5) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में पर्षद उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम कर सकेगा।

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अपेक्षित शारीरिक दक्षता जाँच पर्षद द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

“लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।”

ओ0एम0आर (OMR)/उत्तर पुस्तिका :- ओ0एम0आर0/उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची/परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसके लिए पर्षद जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) द्वितीय चरण - ‘शारीरिक दक्षता जाँच’ - शारीरिक दक्षता जाँच अर्हक (Qualifying) प्रकृति की होगी और इन जाँचों में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(1) **दौड़ -** उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है :-

सभी कोटि के पुरुषों के लिए -

एक मील (1.6 कि०मी०) की दौड़ - [अधिकतम 7 मिनट में]

सभी कोटि की महिलाओं के लिए -

एक किलोमीटर की दौड़ - [अधिकतम 7 मिनट में]

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा।

(2) **उँची कूद -** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :-

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 3(तीन) फीट 6(छः) इंच

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 2(दो) फीट 6(छः) इंच

(3) **लंबी कूद -** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :-

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 10 (दस) फीट

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 7 (सात) फीट

(4) **गोला फेंक -** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :-

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 16 पौंड का गोला

न्यूनतम 14 (चौदह) फीट।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला

न्यूनतम 8 (आठ) फीट।

उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा- ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा । उक्त तीनों जाँच/स्पर्धाओं के लिए तीन (03) मौका प्रदान किया जायेगा ।

(5) उपर्युक्त चारों स्पर्धाओं यथा - दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा/स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएँगे ।


(6) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष दर्ज करा सकेगा । पर्षद आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा ।

(7) शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को विहित प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(ग) तृतीय चरण - मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच - अवधारित शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा । इस दक्षता जाँच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा । उम्मीदवारों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे -

(i) **टेस्टिंग ट्रैक :-** परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा ।

(नोट :- यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।)



A से H = B से G=8'6" B से C = F से G=11'3"

C से D = E से F=25'6" D से E = C से F=31'

A से B = H से G=21'

(ii) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा :-

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक - 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परंतु	5 गियर	12
2 मिनट तक		
2 मिनट से अधिक परंतु	5 गियर	08
3 मिनट तक		

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक - 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परंतु	5 गियर	12
2 मिनट तक		
2 मिनट से अधिक परंतु	5 गियर	08
3 मिनट तक		

(ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जायेगा) - यह जाँच सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इसमें भारी मोटर वाहन (HMV) चालन अनुज्ञप्ति धारक ही भाग ले सकेंगे। इस जाँच में प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा अंक में जोड़े जाएँगे। इस जाँच के लिए अधिकतम अंक-20 होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

सभी गियर बदलकर, बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर	- 08 अंक
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	- 04 अंक
गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना	- 08 अंक

(घ) उम्मीदवारों के वाहन चालन की ज्ञान की जाँच हेतु चयन पर्षद द्वारा गठित समिति द्वारा, मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्नों की सूची में से उम्मीदवारों से 20 प्रश्न मौखिक पूछे जायेंगे, जिसके लिए अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे।

(ड.) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पूर्जे, रख-रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जायेगी। इसके लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक दिये जायेंगे।

उपर्युक्त कंडिका- (क) एवं (ख) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 08 (आठ) अंक तथा (घ) एवं (ड.) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 06 (छः) अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे। कंडिका '(ग)-बस/ट्रक चलाने की क्षमता जाँच' को छोड़कर सभी जाँचों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) **अंतिम मेधा सूची** - (क) “बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019” में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची “वाहन चालन दक्षता परीक्षा” में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।

(ख) बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक संविदा नियोजन अवधि के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 05 (पाँच) अंकों, अधिकतम 25 अंकों, की अधिमानता दी जा सकेगी।

(ग) वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं और संविदा नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार होगी -

$$\begin{array}{rcl} \text{वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक} & - & 95 \times 0.75 & = & 71.25 \\ \text{संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता अंक} & - & 25 & = & 25 \\ \hline & & \text{कुल अंक} & = & 96.25 \end{array}$$

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी को संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता प्राप्त नहीं हो, और उसे वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त हो, तो उसे $95 \times 0.75 = 71.25$ अंक प्राप्त होंगे।

(घ) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच में प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा अंक में जोड़े जाएँगे।

(ङ.) मोटर वाहन के चालन संबंधी दक्षता की परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उच्च में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात् अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाये तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक-33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 35%, तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।

(4) **पूरक अनुशंसा सूची** - “बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017” में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरोध पर, पर्षद द्वारा पूरक अनुशंसा सूचियाँ 06 माह तक निर्गत की जायेंगी। छ: (06) माह की अवधि की गणना मेधा सूची (अंतिम परीक्षा परिणाम) के प्रकाशन की तिथि से किया जायेगा।

(5) **नियुक्ति प्राधिकार** - बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 के नियम 2(ग) के अनुसार बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” - वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी होंगे। पद से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पद द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

(6) **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन -**

(1) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0-103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0-101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जायेगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे।

(2) बिहार पुलिस हस्तक नियम, 658 (iv) में किये गये प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

(3) नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच, चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

(4) हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

(7) **आरक्षण :-**

(क) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) **महिलाओं के लिए प्रावधान:-**

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(ग) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में**

प्रावधान :-

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में

2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(घ) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान -**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली, 2019) एवं “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे।

(ड.) अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनु रूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(8) **कट ऑफ तिथि :-**

(क) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता के लिए कट-ऑफ तिथि 01 अगस्त, 2019 निर्धारित की जाती है।

(ख) मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति हेतु कट-ऑफ तिथि - विज्ञापन की तिथि 29/11/2019 से कम से कम एक वर्ष पूर्व अर्थात् 29/11/2018 तक या इसके पूर्व का निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) अनुज्ञप्ति ही मान्य होगी।

(9) **रिक्ति :-** अधियाचना के अनुरूप बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद हेतु रिक्तियों की संख्या 1722 (सत्रह सौ बाईस) है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कोटि	सिपाही चालक
01	अनुसूचित जाति	266
02	अनुसूचित जनजाति	23
03	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	284
04	पिछड़ा वर्ग	176
05	पिछड़ा वर्गों की महिला	68
06	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	169
07	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)	736
योग-		1722

❖ बिहार पुलिस में जिला / इकाईवार चालक सिपाही की रिक्तियों की सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

(10) **आवेदन प्रक्रिया :-** चालक सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक 30/11/2019 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में पर्षद के वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

(11) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 450/- (चार सौ पचास) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 112/- (एक सौ बारह) रुपये है ।

(12) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रान्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

(13) **ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**

(i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 'Bihar Police के Tab या Advts by Group में जाकर Adv. No. 05/2019 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

(iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान यथा आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) पर साझा की जाएँगी ।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा ।

(v) अभ्यर्थी को मात्र आवेदन-पत्र के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए । किसी भी मामले में भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी । अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाती है ।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा । यही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर भी भेजा जायेगा ।

(vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं ।

(viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है । किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

(ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे । आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे । प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

(x) आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं ।

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- <http://gad.bih.nic.in/> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

(xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा - (क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि एवं संविदा चालक होने संबंधी जानकारी ली जाती है । तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल

आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण - यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में** उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को अंतिम रूप से मान लिया जाएगा, और पर्सद आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपना भरा हुआ आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया :-

यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(14) महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को केन्द्रीय चयन पर्सद को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration

Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

(15) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/12/2019 निर्धारित है । इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन-पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(16) उम्मीदवारी रद्दीकरण - आवेदक की उम्मीदवारी अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से बिना सूचना दिये रद्द की जा सकती है :

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना ।
- (ii) आवेदन का फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना ।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना ।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना ।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना ।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना ।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना ।
- (viii) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारण न करना, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र का नहीं होना तथा भारत का नागरिक न होना आदि ।
- (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना ।
- (x) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे -
(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम से प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से ।
(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि ।
- (xi) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना ।
- (xii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना । इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं ।
- (xiii) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना ।

(xiv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए ।

(17) आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं पर्वद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती हैं । अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें ।

(18) ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(19) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे । किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होंगे ।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

ज्ञापांक-27/के0च0प0(सू0)

दिनांक- 29/11/2019

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक-ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800023

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।

ह0/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना ।

अनुलग्नक 'क'

क्रम सं०	जिला / इकाई / वाहिनी का नाम	रिक्ति	क्रम सं०	जिला / इकाई / वाहिनी का नाम	रिक्ति
1.	भागलपुर	35	37.	बगहा	33
2.	नवगछिया	15	38.	जहानाबाद	02
3.	नालन्दा	52	39.	शेखपुरा	10
4.	लखीसराय	14	40.	रेल जमालपुर	07
5.	गोपालगंज	06	41.	रेल कटिहार	08
6.	मुंगेर	37	42.	रेल मुजफ्फरपुर	04
7.	रोहतास	41	43.	रेल पटना	11
			44.	पु०म०नि०, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा	01
8.	जमुई	29	45.	पु०म०नि०, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	01
9.	नवादा	20	46.	पु०उ०म०नि०, कोशी क्षेत्र, सहरसा	01
10.	सारण (छपरा)	29	47.	पु०उ०म०नि०, शाहाबाद क्षेत्र,	01
11.	मुजफ्फरपुर	45	48.	पु०म०नि०, पूर्णियाँ क्षेत्र,	01
12.	शिवहर	04	49.	पु०म०नि०, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना	01
13.	सुपौल	11	50.	बिहार सैन्य पुलिस 01, पटना	22
14.	बाँका	25	51.	बिहार सैन्य पुलिस 02, डेहरी	14
15.	मोतिहारी	30	52.	बिहार सैन्य पुलिस 03, बोधगया	21
16.	अररिया	07	53.	बिहार सैन्य पुलिस 04, डुमराँव	08
17.	सहरसा	27	54.	बिहार सैन्य पुलिस 05, पटना	03
18.	बेगूसराय	25	55.	बिहार सैन्य पुलिस 06, मुजफ्फरपुर	14
19.	दरभंगा	70	56.	बिहार सैन्य पुलिस 07, कटिहार	02
20.	मधुबनी	28	57.	बिहार सैन्य पुलिस 08, बेगूसराय	15
21.	बक्सर	34	58.	बिहार सैन्य पुलिस 09, जमालपुर	11
22.	खगड़िया	18	59.	बिहार सैन्य पुलिस 10, पटना	26
23.	सीतामढ़ी	16	60.	बिहार सैन्य पुलिस 11, जमुई	01
24.	पटना	106	61.	बिहार सैन्य पुलिस 12, सहरसा	07
25.	सीवान	19	62.	बिहार सैन्य पुलिस 13, दरभंगा	18
26.	मधेपुरा	10	63.	बिहार सैन्य पुलिस 14, पटना	30
27.	वैशाली	24	64.	बिहार सैन्य पुलिस 15, बगहा	05
28.	अरवल	27	65.	बिहार स्वाभिमान पुलिस वाहिनी, बगहा	32
29.	कैमूर (भभुआ)	32	66.	अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा	06
30.	गया	88	67.	महिला सशस्त्र वाहिनी, सासाराम	01
31.	किशनगंज	23	68.	इण्डिया रिजर्व बटालियन, बि०सै०पु०-०३, बोध गया	27
32.	समस्तीपुर	25	69.	पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना	125
33.	भोजपुर (आरा)	28	70.	विशेष शाखा, पटना	47
34.	पूर्णिया	28	71.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना	41
35.	कटिहार	28	72.	राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पटना	01
36.	बेतिया	46	73.	अपराध अनुसंधान विभाग, पटना	62
कुल -					1722